फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

गुरजन्ट सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान

136 एल.आर.एक्ट

किस्म मुकदमाः- प्रकरण सं0 50 वर्ष 2018

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम
8	प्रार्थी गुरजन्ट सिंह पुत्र जरनैल सिंह के द्वारा राजस्व लोक अदालत अभ्यिान 2018 कैम्प मलकानाकलां में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम जरनैल सिंह है। चक 14एच की जमाबदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 11/8 में प्रार्थी का नाम गुरजन्ट सिंह पुत्र जौला सिंह दर्ज है। प्रार्थी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में पिता का नाम जरनैल सिंह है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में जौला सिह के स्थान पर जरनैल सिह करने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम जरनैल सिंह है। सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां के द्वारा की गयी रिपोर्ट के अनुसार जौला सिंह व जरनैल सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थी के पिता का नाम जौला सिंह के स्थान पर जरनैल सिंह करने की अनुशंषा की जाती है। प्रार्थी की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मलकानाकलां के द्वारा की गयी। प्रार्थी के द्वारा इस संबंध में एक हलफनामा भी पेश किया। जिसमे अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड में जौला सिंह के बजाय जरनैल सिंह कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही है। भविष्य में यदि कोई विवाद होता है तो मेरी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम जरनैल सिंह अंकित है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के द्वारा की गयी अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 14एच की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 11/8 में अंकित नाम गुरजन्ट सिंह पुत्र जौला सिंह जाति जटसिख के स्थान पर गुरजन्ट सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। आदेश इस आशय का उपतहसीलदार केसरीसिहपुर के नाम जारी किया जाकर आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक, एस.बी. आई बैंक शाखा केसरीसिंहपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। सन्दीप कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर))	

Scanned by CamScanner